सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2024/473 दर्ज तिथिः—21.10.2024

1. जबरसिंह पुत्र तगसिंह
2. गोरधनसिंह पुत्र तगसिंह
3. शंकरसिंह पुत्र तगसिंह
4. बीरबलसिंह पुत्र तगसिंह
5. बलवंतसिंह पुत्र तगसिंह
   जाति रावणा राजपूत निवासी नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

...........प्रार्थीगण

बनाम

1. खीमराजसिंह पुत्र हीरसिंह
2. प्रभूसिंह पुत्र हीरसिंह
3. रूगनाथसिंह पुत्र हीरसिंह
4. शांतिदेवी पत्नी नगेन्द्रसिंह
5. मेघसिंह पुत्र हीरसिंह
   जाति रावणा राजपूत निवासी नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

...........अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री जगदीश कड़वासरा
अप्रार्थीगणः—श्री जगदीश विश्नोई

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—28.04.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन किया:—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:59 IST
Reason: SelfAttested

- कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 430/2/6.7421 है0, 493/3/7.4138 है0 मौजा नया नगर तहसील गुडामालानी प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है।
- कि उक्त खसरा विभाजन नामांतरकरण संख्या 716 दिनांक 31.01.1983 द्वारा सृजित हुए। जिसमें नामांतरकरण संख्या 716 की पुश्त पर नक्शा अंकित किया गया है।
- कि उक्त नामांतरकरण संख्या 716 की पुश्त पर अंकित नक्शा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम की जानी अपेक्षित थी तथा उसी अनुसार लट्ठा ट्रेस में तरमीम की जानी थी। परंतु नामांतरकरण संख्या 716 की पुश्त पर नक्शा से भिन्न लट्ठा ट्रेस में विभाजित खसरों की तरमीम कर दी गई। जिससे मौका व रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई।

2. असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम नामांतरकरण संख्या 716 की पुश्त पर अंकित नक्शा अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में को दुरूस्त किया जाकर की ऑनलाइन तरमीम मौके पर कब्जे के अनुसार एवं नामांतरकरण संख्या 716 की पुश्त पर अंकित नक्शा अनुसार दुरूस्त की जावे। अतः प्रार्थी की आराजी की तरमीम नामांतरकरण संख्या 716 की पुश्त पर अंकित नक्शा के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 एवं 03 के अतिरिक्त शेष अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 एवं 03 द्वारा असालतन—वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर सीधे बहस कर निम्न प्रकार निवेदन किया गयाः—
   - कि उक्त आराजी का पक्षकारान के मध्य सहमति से विभाजन स्वीकृत होकर वर्तमान खसरा संख्या एवं तरमीम अंकित की गई है। उक्त सहमति के विभाजन के अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार हाजा न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से उक्त आवेदन—पत्र काबिल—ए—खारिज है।
   - कि उक्त प्रकरण राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा—131 के अंतर्गत तरमीम दुरूस्ती का प्रकरण नहीं बनने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना—पत्र काबिल—ए—खारिज है।
   - कि पूर्व में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य सहमति से बंटवारे अनुसार वर्तमान में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण काबिज काश्त हैं। वर्तमान में प्रार्थीगण की नियत में खोट आने से तथा अप्रार्थीगण को महज परेशान करने की नियत से उक्त तरमीम दुरूस्ती का आवेदन पेश किया होने से उक्त आवेदन पत्र काबिल—ए—खारिज है।

4. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/597 दिनांक 15.04.2025 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—ए के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विद्वान

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:59 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र के जवाब के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु नामांतरकरण संख्या 716 की पुश्त पर अंकित नक्शा प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के नामांतरकरण संख्या 716 की पुश्त पर अंकित नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

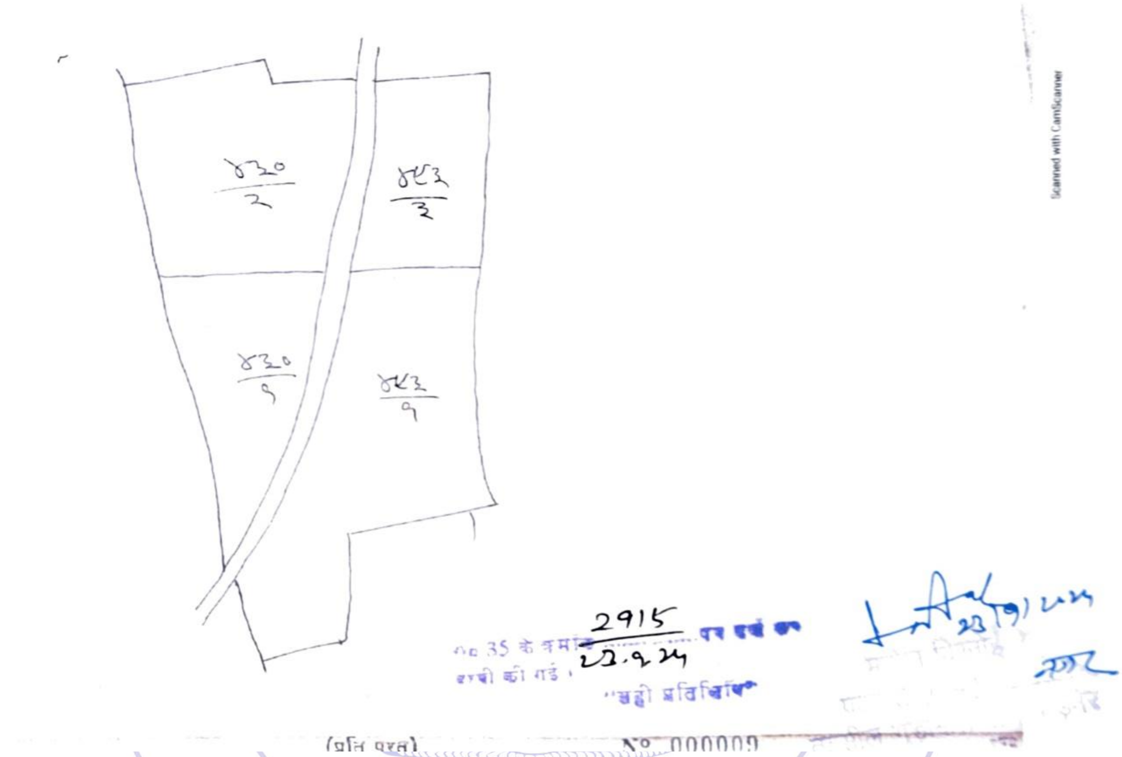

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के नामांतरकरण संख्या 716 की पुश्त पर अंकित नक्शा के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 597 दिनांक 15.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 597 दिनांक 15. 04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:59 IST
Reason: SelfAttested

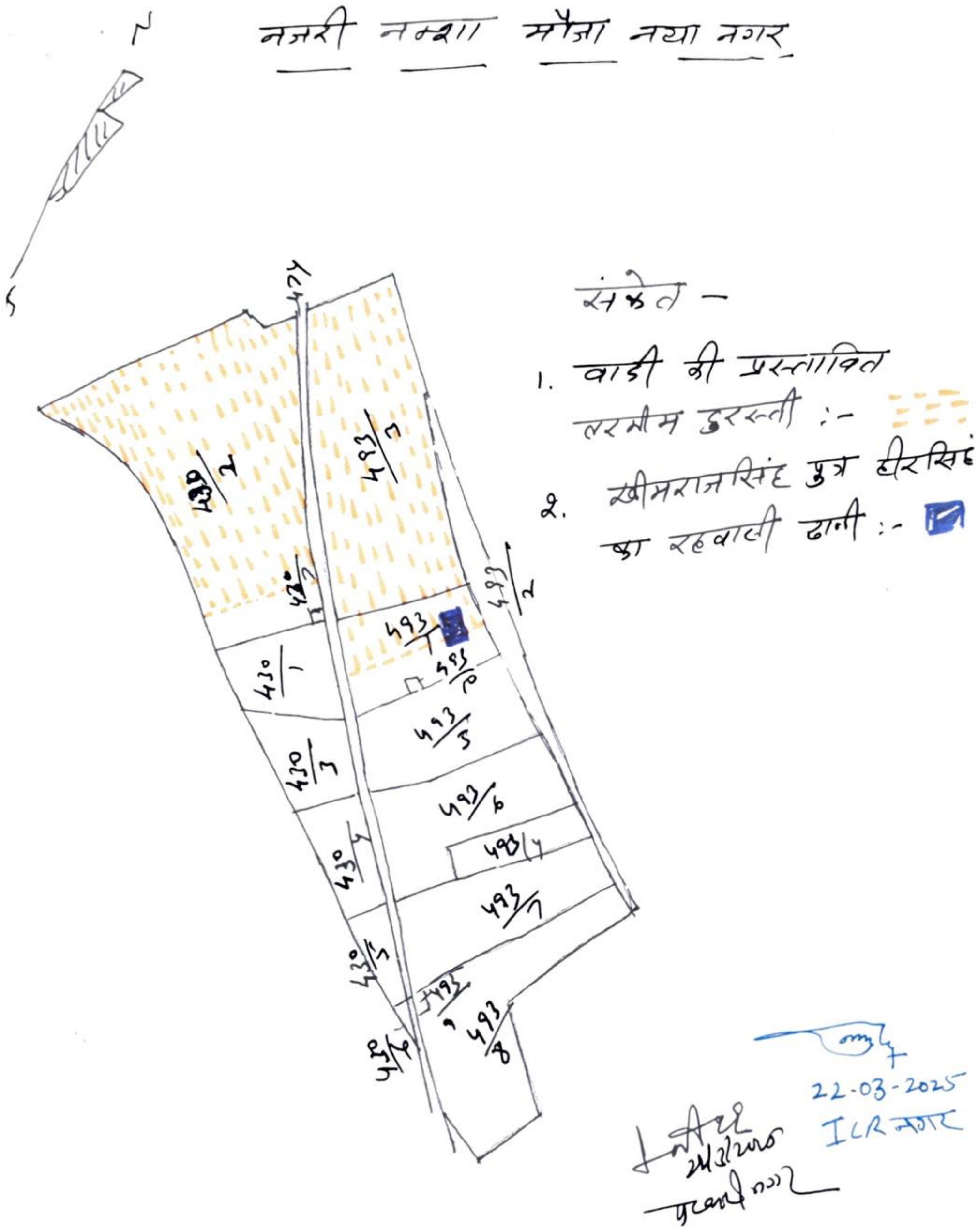

7. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 597 दिनांक 15.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

- कि खसरा संख्या 493 / 3 व 430 / 2 की तरमीम नामांतरकरण ससंख्या 716 की पुश्त के पीछे अंकित तरमीम व लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम दोनों एक समान है। नामांतरकरण की प्रति संलग्न है।
- कि खसरा संख्या 493 / 3 व 430 / 2 की तरमीम वर्तमान लट्ठा में अंकित तरमीम की रकबा बरारी करने पर खसरा संख्या 493 / 3 का रकबा 6.4021 है0 व 430 / 2 का रकबा 7.7538 है0 है।
- कि वर्तमान जमाबंदी के रकबे अनुसार खसरा संख्या 493 / 3 व 430 / 2 की तरमीम दुरूस्त की जानी प्रस्तावित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:59 IST
Reason: SelfAttested

जिसका संलग्न नक्शा के अनुसार तरमीम दुरूस्तीकरण किया जाना उचित है।

8. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/597 दिनांक 15.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 493/3 तथा 430/2 तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 430/1 एवं 493/1 पडोस में अवस्थित है तथा सहमति विभाजन से स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 716 द्वारा पृथक खसरे सृजित हुए हैं। इस प्रकार हाल राजस्व नक्शा व कब्जे अनुसार प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा समान है। परन्तु कब्जे के मुताबिक तरमीम नहीं की हुई है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/597 दिनांक 15.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अपितु कब्जे के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जाकर केवल राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/597 दिनांक 15.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2025/597 दिनांक 15.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 28.04.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:59 IST
Reason: SelfAttested